कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 29.05.2026

थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित/हिस्ट्रीशीटर तथा 25,000 रुपये के इनामिया अंतर्जनपदीय शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, चोरी का कॉपर का तार, एक मोटरसाइकिल (पैशन प्रो), एक मोबाइल व 400 रुपये नगद बरामद।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बिंदकी के कुशल नेतृत्व में थाना कल्यानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.11.2025 को वादी अमित कुमार गुप्ता (जे0ई0 DFCCIL न्यू मलवां रेलवे स्टेशन) द्वारा थाना कल्यानपुर पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 08.11.2025 को अज्ञात चोरों द्वारा न्यू मलवां रेलवे स्टेशन के डीएफसीसीआईएल गोदाम से कॉपर वायर एवं अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कल्यानपुर पर मु0अ0सं0 230/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 29.05.2026 को थाना कल्यानपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अलीरजा चौडगरा चौराहे के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त मोटरसाइकिल से भागने लगा तथा स्वयं को घिरता देख अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के बायें पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को तत्काल हिरासत में लेकर उपचार

हेतु अस्पताल भेजा गया। घटना स्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया गया तथा पुलिस मुठभेड़ के संबंध में मु0अ0सं0 132/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना कल्यानपुर में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अली रजा ने पूछताछ में बताया कि वह अपने साथी पिंटू सिंह चौहान पुत्र मंगल निवासी ग्राम भग्गा का पुरवा थाना मलवा जनपद फतेहपुर एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर रेलवे एवं अन्य स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। अभियुक्त ने बताया कि गैंग का मुख्य उद्देश्य चोरी कर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करना है। गैंग के सदस्य पहले रेलवे सिग्नल, एलएच (LH) एवं अन्य स्थानों की रेकी करते हैं तथा योजनाबद्ध तरीके से रेलवे सिग्नल के पास लगे कॉपर के केबलों को कमजोर कर मौका पाकर कुछ ही मिनटों में काट लेते हैं। अभियुक्त के अनुसार गैंग के कुछ सदस्य घटना के दौरान कैमरों की डीवीआर निकाल लेते हैं ताकि कोई साक्ष्य न बच सके, जबकि अन्य सदस्य कॉपर के तार एवं अर्थिंग कॉपर पट्टियों को चोरी कर लेते हैं। अभियुक्त ने बताया कि गैंग का सरगना पिंटू सिंह चौहान पूर्व में रेलवे में कार्य कर चुका है, जिस कारण उसे रेलवे की तकनीकी जानकारी है तथा उसी के बताए अनुसार गैंग के सदस्य कार्य करते हैं। चोरी किए गए कॉपर तार एवं अन्य सामान को अलग-अलग स्थानों पर बेचकर प्राप्त धनराशि गैंग के सदस्यों में आपस में बांट ली जाती है। अभियुक्त ने बताया कि गैंग द्वारा अधिकांश घटनाएं जनपद फतेहपुर एवं कानपुर नगर क्षेत्र में की जाती हैं तथा घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए गैंग के सदस्य अपने रिश्तेदारों एवं अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाकर छिप जाते हैं। इस गिरोह के हरिओम शुक्ला व निर्भय सिंह को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य सदस्य की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

अलीरजा पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी ग्राम चौरेहा थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर हाल पता चौडगरा थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 देशी तमंचा 315 बोर
2. 02 खोखा कारतूस 315 बोर
3. चोरी का कॉपर का तार
4. एक मोटरसाइकिल (पैशन प्रो)
5. एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन

6. 400 रुपये नगद

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 66/2017 धारा 41/411/413 भादवि थाना औंग जनपद फतेहपुर।
2.मु0अ0सं0 67/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना औंग जनपद फतेहपुर।
3.मु0अ0सं0 77/2019 धारा 380, 411, 454 भादवि थाना औंग जनपद फतेहपुर।
4.मु0अ0सं0 26/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना औंग जनपद फतेहपुर।
5.मु0अ0सं0 391/2021 धारा 413, 420, 467, 468, 471 थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
6.मु0अ0सं0 320/2021 धारा 4/5 वि0पदार्थ अधिनियम थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
7.मु0अ0सं0 371/2021 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
8.मु0अ0सं0 26/2025 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।
9.मु0अ0सं0 420/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
10.मु0अ0सं0 106/2018 धारा 147/323/504/506 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
11.मु0अ0सं0 84/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
12.मु0अ0सं0 203/2020 धारा 41/411 भादवि थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
13. मु0अ0सं0 204/2020 धारा 4/5 वि0पदार्थ अधिनियम थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
14. मु0अ0सं0 210/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
15. मु0अ0सं0 211/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
16.मु0अ0सं0 212/2020 धारा 411 भादवि थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
17.मु0अ0सं0 77/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर।
18.मु0अ0सं0 162/2023 धारा 41/411/413/414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर
19.मु0अ0सं0 132/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कल्यानपुर
20.मु0अ0सं0 214/2023 धारा 379/411/413 भादवि थाना चकेरी जनपद पूर्वी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
21. मु0अ0सं0 114/2016 धारा 323/354/354(घ)/420/506 भादवि थाना नौबस्ता जनपद दक्षिणी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
22.मु0अ0सं0 71/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नरवल जनपद पूर्वी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
23.मु0अ0सं0 39/2023 धारा 41/411/413 भादवि थाना नरवल जनपद पूर्वी (कमिश्नरेट कानपुर नगर)
24.मु0अ0सं0 137/2014 धारा 380/411/457 भादवि थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सुमित देव पाण्डेय थाना कल्यानपुर, जनपद फतेहपुर
2. व0उ0नि0 रविशंकर
3. उ0नि0 संजय सिंह परिहार
4. उ0नि0 विवेक कुमार
5. उ0नि0 शिवनारायण सिंह
6. हे0का0 अनिल कुमार
7. का0 नीलेश कुर्मी
8. का0 विकास कनौजिया
9. का0 धन्नजंय कुमार
6. रि0का0 शिवप्रकाश पाल
7. रि0का0 रोहित विश्वकर्मा
8. रि0का0 उमेश चंद्र चौरसिया